निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई०ए०एस० जिला कलक्टर,झालावाड़

मि०न० 09 /अपील/20

गोपालसिंह आ0 रामसिंह जाति राजपूत नि0 पूरजी का खेड़ा तहसील पचपहाड़(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार तहसील पचपहाड़ दिनांक 06.02.2020
मिसल न0 1868/20

उपस्थितः– अविनाश गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 03.03.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 06.02.2020 जो मिसल न0 1868/2020 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम खण्डार की आराजी ख0न0 130/1 की 1.10 बीधा चरागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर 150/– शास्ती आरोपित करते हुए 30 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एंव पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही देकर तथा स्वतन्त्र गवाहान के बयान नहीं लेकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सजायाब किया है, अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही है पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निणय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे1 इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूगि पर अतिकमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी राजकीय चरागाह आराजी पर अतिकमण किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल न0 1358 निर्णय दिनांक 16.11.2018 से 90/–रू. शास्ती आरोपित की गई थी इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पुनः चरागाह भूमि पर अतिकमण किया जाना साबित है । अपीलान्ट द्वारा स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है,अपीलान्ट द्वारा उस पर आरोपित शास्ती जमा नही करवाई गई है और ना ही उसके द्वारा सरकारी चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण ही हटाया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर ग्राम के पशुओं को चरागाह भूमि पर चरने से रोकने का प्रयास किया जाना साबित है व अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उपयुक्त नही है। उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा मिसल न0 1868/20 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2020 में हम किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है, अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड